



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 508/02 व्यग(वृत्तीय)-अधि0-वैय0सहा0/18

दिनांक-09/06/2018।

::कार्यालय-ज्ञापः

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वृत्तीय वैयक्तिक सहायक संवर्ग में निम्न वैयक्तिक सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री हेमराज सिंह वैयक्तिक सहायक	8वां वृत्त, लो०नि०वि० टिहरी	चतुर्थ वृत्त, लो०नि०वि० रुद्रपुर	17 (1) ग

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

89/2
(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो०नि०वि० देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि० टिहरी/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 04/08वां वृत्त, लो०नि०वि०, रुद्रपुर(ऊधमसिंहनगर)/टिहरी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रुद्रपुर/टिहरी।
- आई०टी० हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्री हेमराज सिंह, वैयक्तिक सहायक, 08वां वृत्त, लो०नि०वि०, टिहरी।
- गार्ड पत्रावली।

9-6-18
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

09/6/18



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 509/32 व्यग(खण्डीय)-अधि0-उ0/18


दिनांक-09/06/2018।

::कार्यालय-ज्ञापः

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय वैयक्तिक सहायक संवर्ग में निम्न वैयक्तिक सहायक को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री विनोद प्रसाद वैयक्तिक सहायक	नि०ख० अल्मोड़ा	प्रा०ख० रानीखेत	17 (1) क


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकार को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो०नि०वि० देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि० अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत/अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रानीखेत/अल्मोड़ा।
- आई०टी० हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्री विनोद प्रसाद, वैयक्तिक सहायक, नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
- गार्ड पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

09/06/18



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक:- 510/32 व्यग(खण्डीय)-अधि0-उ0/18


दिनांक-09/06/2018।

::कार्यालय-ज्ञापः

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय वैयक्तिक सहयक संवर्ग में निम्न वैयक्तिक अधिकारी को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्रीमती ऊषा आर्या वैयक्तिक अधिकारी	रा0मा0ख0 हल्द्वानी	रा0मा0ख0 रानीखेत	17 (1) क


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 कार्यालय, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
- अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/रानीखेत।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी/रानीखेत।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्रीमती ऊषा आर्या, वैयक्तिक अधिकारी, रा0मा0ख0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
- गार्ड पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
09/06/18

